

प्रेस नोट थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर दिनांक 21.07.2024

अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा अवैध कच्ची शराब बनाने/बिक्री के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु के द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष चौरी चौरा के नेतृत्व में उ0नि0 राहुल राव मय पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त दिलीप चौहान पुत्र रामप्यारे चौहान निवासी इब्राहिमपुर टोला ढोलहा थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर को 20 ली0 अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 01 कि0ग्रा0 यूरिया, 250 ग्राम नौसादर व 01 अदद मोटरसाईकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 389/2024 धारा 274 भा0न्या0सं0 व धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

दिलीप चौहान पुत्र रामप्यारे चौहान निवासी इब्राहिमपुर टोला ढोलहा थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 389/2024 धारा 274 भा0न्या0सं0 व धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

20 ली0 अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 01 कि0ग्रा0 यूरिया, 250 ग्राम नौसादर व 01 अदद मोटरसाईकिल

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- I. मु0अ0सं0 244/2016 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
- II. मु0अ0सं0 250/2013 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
- III. मु0अ0सं0 234/2013 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
- IV. मु0अ0सं0 389/2024 धारा 274 भा0न्या0सं0 व धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार की टीम-

1. थानाध्यक्ष आशीष कुमार सिंह थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 राहुल राव थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
3. प्रशिक्षु उ0नि0 मनीष श्रीवास्तव थाना चौरी चौरा गोरखपुर
4. का0 अतुल यादव थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
5. का0 रामानन्द चौहान थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर